



संक्षिप्त समाचार

आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद आरोपित का होगा कोरोना टेस्ट

संवाददाता देहरादून।

आपराधिक मामलों में गिरफ्तार आरोपितों का पुलिस अब पहले कोरोना टेस्ट कराएगी। इसके बाद ही उन्हें जेल या डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। एडीजी जेल पीवीके प्रसाद ने बताया कि कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आरोपित को कोविड सेंटर भेजा जाएगा और स्वस्थ होने के बाद उसे 18 दिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं, रिपोर्ट निगेटिव आने की स्थिति में भी आरोपित को जेल में दाखिल करने से पहले 18 दिन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। विवादित प्रकरण का जल्द समाधान किया जाय: वनमंत्री

संवाददाता देहरादून। प्रदेश के वन एवं वन्य जीव मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में वन विभाग के अन्तर्गत वन निगम में कार्यरत कार्मिकों की समस्या समाधान के सन्दर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा वन निगम के कर्मचारियों से सम्बन्धित, नियत यात्रा भत्ता, स्केलर इत्यादि विवादित प्रकरण का जल्द समाधान किया जाय, जिन प्रकरणों पर, समाधान प्रबन्ध तंत्र द्वारा किया जा सकता है, तत्काल निस्तारण करें और शेष को शासन के लिए अग्रसारित करें।

पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह नेगी को दी श्रद्धांजलि

संवाददाता देहरादून। पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह नेगी को विभिन्न संगठनों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां अस्थायी राजधानी देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं व पत्रकारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी।

आसुस ने नये और अल्ट्रापोर्टेबल जेनबुक व वीवोबुक लॉन्च किये

देहरादून। प्रमुख ताइवानी टेक पीसी कंपनी, आसुस, ने आज अपने इनावेटिव और स्टाइलिश जेनबुक और वीवोबुक फैमिली में 4 नये उत्पाद शामिल करने की घोषणा की: जेनबुक13/14, वीवोबुक एस 14 और वीवोबुक अल्ट्रा के 14। कंज्यूमर नोटबुक सेक्शन में अपनी 15 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए, आसुस इंडिया 10वीं जेनेरेशन के इंटेले कोरर मोबाइल प्रोसेसर द्वारा संचालित उत्पादों को लॉन्च किया है। बेजोड पोर्टेबिलिटी के साथ पावर-पैक परफॉरमेंस निश्चित रूप से लोगों को बेहद आकर्षित करेगा।

आने वाला समय काफी अहम एवं संवेदनशील: मुख्यमंत्री

समीक्षा

■ मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

संवाददाता

देहरादून/ऊधमसिंह नगर। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को रुद्रपुर में विकास कार्यों के साथ ही कोविड 19 के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जनपद के प्रभारी एवं शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कोविड 19 के चलते प्रशासन द्वारा किये गये कार्यों एवं व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुये अधिकारियों से आपसी समन्वय तथा सूझबूझ से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हुये उसका लाभ जनता को देने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, प्रशासन के अलावा आंगनबाडी एवं एएनएम जो कि



फ्रंट वारियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी की जाए ताकि ये सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते हुये लोगों को जनस्वास्थ्य की बेहतर सुविधायें दे सकें।

उन्होंने कहा कि लोगों के बीच अनिवार्य रूप से मास्क, सेनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का संदेश स्पष्ट तौर पर दिया जाए। क्योंकि जागरूकता एवं बचाव ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकता है। उन्होंने

कहा कि मास्क एवं सामाजिक दूरी व अन्य नियमों का यदि कोई पालन ना करे तो उसके विरुद्ध चालान के अलावा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जाए।

कोरेन्टीन नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कोरेन्टीन व्यक्ति कोरेन्टीन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनसे सख्ती से पालन करवाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से आने वाला समय काफी अहम एवं संवेदनशील है। ऐसे में हमें एहतियात बरतने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा जिन्हें कोरेन्टाइन किया गया है अगर निर्धारित समय में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही उनमें दूसरे लक्षण भी नहीं दिखते हैं तो ऐसे लोगों को घर भी भेजा जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि वह पूरी तत्परता, कार्यकुशलता एवं निष्ठा के साथ संक्रमण काल में टीम भावना के साथ दायित्वां का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के अस्तित्व में आ जाने से क्षेत्र के काश्तकारों एवं उद्योगपतियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा ऊधमसिंह नगर के काश्तकारों के फूल, सब्जी तथा अनाज राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर

कोरेन्टीन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेऊँ मदन कौशिक

कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बाहर से आने वाले प्रवासियों से अपील की है कि वे कोरेन्टीन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने भी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा इस आपदा दौर में किये जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बचाने की है। प्रदेश में विभिन्न प्रान्तों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है इसलिए आने वाले समय में कोविड केयर चिकित्सालय में पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ ही कोविड केयर सेंटर व कोरेन्टीन सेंटर में भी पर्याप्त व्यवस्थायें रखी जाएं।

विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों की गहन चौकिस की जा रही: डीएम

जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल ने कोविड 19 के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं अब तक किये गये कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद की सीमाओं पर विभिन्न प्रदेशों से आने वाले लोगों की गहन चौकिस की जा रही है तथा उन्हें नियमानुसार संस्थागत कोरेन्टीन कराया जा रहा है।

पर पहुंच सकेंगे। सके सकारात्मक परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे।

महाराज पर नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं!

याचिका

■ सतपाल महाराज द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में हुई सुनवाई

देहरादून। संवाददाता

नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी केंद्र सरकार के गाइड लाइनों का उल्लंघन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में प्रतिशपथपत्र पेश करने को कहा है। कार्यवाक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मल्लिथ व न्यायमूर्ति एनएस



धानिक की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा था कि जब आम जनता नियमों का उल्लंघन करती है तो उनपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उल्लंघन कर रहे हैं

तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

देहरादून निवासी उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के घर पर डीएम देहरादून व सीएमओ ने नोटिस

चस्पा कर 20 मई से तीन जून तक क्वॉरेंटाइन में रहने को कहा था, परंतु कैबिनेट मंत्री द्वारा नोटिस का उल्लंघन करते हुए कैबिनेट की दो अहम बैठकों में भाग लिया और क्वारंटीन होने की जानकारी कैबिनेट से छिपाई। जिसकी वजह से कैबिनेट के सभी सदस्यों को क्वारंटीन होना पड़ा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जब आम आदमी पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार लगातार मुकदमे दर्ज करा रही है तो महाराज के खिलाफ अभी तक नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने महाराज पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है।

दिव्यांगजन के कामकाजी वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें: जिलाधिकारी

संवाददाता देहरादून। कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति और इससे संबंधित लोकल लेवल कमेटी की बैठक में समिति के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणी में ऐसे दिव्यांगजनों की पहचान करें, जो अपने ही आवास पर कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर कुछ अपनी आमदनी जनरेट कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। जो दिव्यांगजन अपनी कुछ इनकम जनरेट करके आत्मनिर्भर बन जाएंगे उससे उनके अभिभावकों की लायबिलिटी कम हो जाएगी। उन्होंने दिव्यांगजन अधिनियम व नियमावली के अंतर्गत दिव्यांगजनों के पुनर्वास, स्वरोजगार और सशक्तिकरण का गंभीरता से प्रयास करने तथा उनसे संबंधित शिकायतों पर समुचित विचार करते हुए प्राथमिकता से उसका समाधान करने के निर्देश दिए।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+



Scan This Code

Read News
Watch News Channel



स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के. प्रिंटर्स, 74/9, आराधर, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।